# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**अपील डिक्री/टीए/3392/2004/भरतपुर**

1– हरिसिंह दत्तक पुत्र मुरली जाति ठाकुर निवासी–नगला सुल्तान मजरा तहसील बानखेड़ा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2– जगदीश सिंह पुत्र हरि सिंह।

**------ अपीलांट्स**

**बनाम**

1– जगन सिंह पुत्र रघुवर सिंह मृतक जरिये वारिसान :–
1/1. नवाब सिंह पुत्र श्री जगन सिंह,
1/2. राजपाल सिंह पुत्र श्री जगन सिंह मृतक जरिये वारिसान :–
1/2/1. चन्द्रभान सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह,
1/2/2. वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह,
1/2/3. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह,
1/2/4. शारदा पत्नि स्व0 राजपाल सिंह,
1/2/5. सुमन पुत्री स्व0 राजपाल सिंह,
1/2/6. मिथलेश पुत्र स्व0 राजपाल सिंह,
समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम नंगला सुल्तान तहसील बयाना जिला भरतपुर।
1/3. नेपाल सिंह पुत्र श्री जगन सिंह मृतक जरिये वारिसान :–
1/3/1. ओमवती बेवा स्व0 नेपाल सिंह,
1/3/2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नेपाल सिंह,
1/3/3. रवि कुमार पुत्र स्व0 नेपाल सिंह,
1/3/4. जितेन्द्र पुत्र स्व0 नेपाल सिंह,
समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम नंगला सुल्तान मजरा खान खेड़ा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
1/3/5. नैनकंवर पुत्री स्व0 नेपाल सिंह पत्नि नवाब सिंह गांव फतेहपुर पो0 खुडियाना तहसील लक्ष्मणगढ़।
1/3/6. बबीता पत्नि महीपाल सिंह निवासी–गांव ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
1/3/7. काली पत्नि महेश सिंह निवासी गांव बांस पो0 झोरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
1/4. मानसिंह पुत्र श्री जगन सिंह,
समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम नंगला सुल्तान मजरा खान खेड़ा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2– मु0 अमर बाई बेवा प्रहलाद सिंह,
3– देवेन्द्रभान पुत्र प्रहलाद सिंह,
4– विष्णु पुत्र प्रहलाद सिंह,
5– मु0 अंगूरी पुत्री प्रहलाद सिंह बेवा मुंशी सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम नारंगपुरा तहसील महुआ जिला दौसा।
6– मु0 लोहरी पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नि ओम सिंह ठाकुर निवासी नवलपुरा तहसील मालखेड़ा जिला अलवर।

**अपील डिक्री/टीए/3392/2004/भरतपुर**
**हरीसिंह बनाम जगनसिंह**

7– मु0 विदया पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नि हरि सिंह ठाकुर निवासी झांकडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
8– मु0 नारंगी पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नि नरपत सिंह जाति ठाकुर निवासी ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
9– मु0 कैला पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नि महावीर सिंह,
10– मु0 मल्ला पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नि काडू सिंह ठाकुर निवासी ग्राम हिंगोटा तहसील बसवा जिला दौसा।
11– मु0 कलिया पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नि रतन सिंह ठाकुर निवासी ग्राम होदाहेली तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।
12– मु0 कविता पुत्री प्रहलाद सिंह जाति ठाकुर निवासी नगला सुल्तान मजरा खनखेड़ा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
13– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

**---- रेस्पोडेन्टगण**

**खण्ड पीठ**
**श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य**
**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थित**
(1) श्री ओ.एल. दवे एवं श्री जे.के. पारीक/श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री रोहित सोनी एवं श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

**निर्णय** **दिनांक :– 24.08.2023**

यह अपील अन्तर्गत धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 22/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना के समक्ष एक वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई व्यादेश का वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा कराने व विभाजन हेतु दावा डिक्री किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिसमें से प्रतिवादी नं0 1 से 3 ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इन्कार करते हुए वादपत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन कर अपने निर्णय दिनांक 30–11–2000 को दावा वादी खारिज कर दिया गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2000 से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–07–2004 से अपील अपीलांट स्वीकार कर सहायक कलक्टर, बयाना के निर्णय दिनांक 30–11–2000 को निरस्त कर दिया गया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। वादी/रेस्पोडेन्ट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय में विवादित आराजी को पैतृक सम्पति मानकर दावा प्रस्तुत किया था जिसमें वादी/रेस्पो0 ने पैतृक सम्पति के सम्बन्ध में कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विवादित निर्णय में भूमि मलखान से आना मानकर पैतृक सम्पति मानी है जबकि वादी/रेस्पो0 ने दावे के साथ जो सजरा प्रस्तुत किया उसमें अन्तरामसिंह के आधार पर विवादित आराजी को पैतृक बताया था। वादी/रेस्पो0 ने अन्तरामसिंह की पूरी जमीन के बाबत् दावा पेश नहीं किया तथा न ही अन्तरामसिंह को पूरी भूमि के सम्बन्ध कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश किया गया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में राजीनामे में दानपत्र व गोदनामें को पेश नहीं करना माना है जो कि पत्रावली के उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है क्योंकि राजीनामें, गोदनामें व दानपत्र को वादी/रेस्पो0 ने अपने दावे में माना था तथा राजीनामा व गोदनामे में दानपत्र के तथ्यों में अंकित किया गया था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में राजीनामा, दानपत्र व गोदनामा प्रस्तुत होना

माना है। इसके उपरान्त भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने राजीनामा व गोदनामें को कपटपूर्वक एवं अवैद्य होना माना है जो कि पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। राजीनामा बाबत् केवल मात्र सिविल न्यायालय सक्षम है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में रेस्ज्यूडिकेटा का लागू नहीं होना माना है जो कि पूर्णतया विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि पश्चात्वर्ती वाद पर रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त पूर्णतया लागू होता था। पैत्रक आराजी का दानपत्र एवं इसके आधार पर इन्द्राजात को नल एण्ड वोईड माना है जो कि पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि खातेदार मुरली ने जगदीश को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 29-03-1973 को की थी तथा मुरली ने यह दस्तावेज अपने हिस्से की भूमि का किया था जिसका उसे पूर्ण अधिकार था। इस आराजी से वादी/रेस्पो0 का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है तथा दानपत्र सही है या गलत इस तथ्य का निर्धारण केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में गोदनामें को गलत माना है तथा गोदनामें को अवैद्य माना। यह तथ्य पूर्णतय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि खातेदार मुरली ने हरिसिंह के जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 02-01-1978 को गोद लिया जिसके आधार पर हरीसिंह, मुरली का गोदपत्र था जिसके कारण मुरली की सम्पति में हरिसिंह का पूर्ण अधिकार था तथा गोदनामा सही है या गलत इसका निर्धारण करने में अपीलीय न्यायालय सक्षम नहीं है तथा इसका निर्धारण केवल मात्र सिविल न्यायालय ही कर सकती है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं0 5 में कपटपूर्वक राजीनामा व दानपत्र को मन्सुखा करने का अधिकार अदालत हाजा को नहीं है। इस तथ्य पर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित नहीं किया और इसके विपरीत निर्णय पारित किया है जबकि कपटपूर्ण राजीनामा व दानपत्र को मन्सुख करने के अधिकार अदालत हाजा को नहीं था। तनकी सं0 6 का निर्णय गलत है क्योंकि इस बाबत् कि वादी का कब्जा नहीं है तथा न ही अन्दर 12 वर्ष कभी वादी का कब्जा रहा है। इस तथ्य पर अपीलीय न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था जबकि अपीलीय न्यायालय ने इस तनकी में राजीनामा, गोदनामा पर निर्णय पारित किया है तथा गोदनामें को अवैद्य माना है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी

आधार एवं बिना किसी कारण के प्रश्नगत भूमि में प्रहलाद का 1/3 हिस्सा मानकर जो विवादित निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि प्रहलादसिंह ने जवाबदावे में हरीसिंह के कथनों को स्वीकार किया था। वादी/रेस्पो0 जगन का जो दावा दिनांक 01–08–1986 को बरूये राजीनामा निरस्त हुआ उसके विरूद्ध रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया था जो विद्वान सहायक कलक्टर बयाना द्वारा दिनांक 25–03–1989 को निरस्त किया गया तथा इसमें यह माना कि कपट के आधार पर प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार न्यायालय को नहीं था तथा यह भी माना कि राजीनामा निरस्त कराने हेतु अलग से दावा दायर कर समुचित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इसलिए जगन का दावा निरस्तनीय था। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2004 को निरस्त किया जाकर विद्वान सहायक कलक्टर बयाना का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2000 यथावत बहाल रखने का अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में 1995 आर0बी0जे0 पेज 3, 2010 आर0बी0जे0 पेज 626, 2003 आर0आर0डी0 पेज 463, 1996 आर0आर0डी0 पेज 10, 2022 आर0बी0जे0 पेज 93, 268, 1991 आर0आर0डी0 पेज 426, 1997 आर0आर0डी0 पेज 117, 1993 आर0आर0डी0 पेज 326, 2004 आर0बी0जे0 पेज 623 के न्याय दृष्टान्त पेश किये गये।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का नामान्तरकरण हरिसिंह ने मुरली के गोद होने का। जगनसिंह ने विद्वान परीक्षण न्यायालय में वाद दायर किया। जगदीश पुत्र हरिसिंह ने दानपत्र करा लिया मुरली से तथा हरिसिंह ने भी वाद दायर किया। लोक अदालत में उक्त दोनों दावे खारिज हो गये। जगनसिंह ने प्रार्थना पत्र दावे को रेस्टोर कराने का लगाया। जगनसिंह ने जो वाद दायर किया उसे खारिज कर दिया गया, जो गलत है जिसके विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने माना कि रेस्ज्यूडिकेटा जब लागू होता है तब केस मैरिट पर निर्णित हुआ हो।

विद्वान अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय में रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु को नहीं माना। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2022 ए0एल0आर0 पेज 499, 2018 आर0बी0जे0 पेज 77, 2015 आर0आर0टी0 पेज 1109, 2017 डब्ल्यू0एल0एन0 पेज 358, 2013 एल0आई0आर0–राज0 पेज 99, 2016 डी0एन0जे0 पेज 193, 1978 आर0आर0डी0 पेज 11, 1982 आर0आर0डी0 पेज 622, 2015 आर0आर0टी0 पेज 1221, 2022 आर0आर0टी0 पेज 52 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान सहायक कलक्टर, बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 30–11–2000 में अंकित किया कि दावा वादी रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने व एस्टोपल एक्यूजेन्स सिद्धान्त लागू होने के कारण चलने योग्य नहीं होने व अन्दर 12 साल कब्जा वादी नहीं होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है।

8– विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2004 से अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2000 निरस्त कर कुल किता 23 रकबा 129 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम खानाखेड़ा तहसील बयाना का 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तनकियों का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–11–2000 में अंकित किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा हो ऐसा कोई दस्तावेज वाद में पेश नहीं किया गया है। वाद सं0 37/86 न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना द्वारा राजीनामा के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः पुनः दावा उक्त भूमि की कराने बाबत् कराने पर

रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। वादी विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य चले दावा में राजीनामा पेश कर प्रतिवादी हरीसिंह के अधिकार को स्वीकार कर चुका है। अतः पुनः उक्त भूमि के संबंध में दावा चलने योग्य नहीं है।

दावा वादी रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने व स्टोपल एक्यूजेन्स व वेवर सिद्धान्त लागू होने के कारण चलने योग्य नहीं होने व अन्दर 12 साल कब्जा वादी नहीं होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है।

10– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27–07–2004 में अंकित किया है कि सहमति से निर्णय में रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। प्रस्तुत पूर्व की डिक्री में कोई खसरा नंबर अंकित नहीं है, सिर्फ यह अंकित किया गया है कि राजीनामा के अनुसार वादी दावा को चलाना नहीं चाहता है। अतः दावा वरविनाय राजीनामा पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। यह डिक्री विड्रावल के लिए पारित की किन्तु रेस्पो0/प्रतिवादीगण ने डिक्री बनवा ली। निर्णय अंतिम व मैरिट पर नहीं, तब तक इसे नहीं माना जा सकता। आदेश 3 नियम 1 के अन्तर्गत राजीनामें में विड्रा किया गया है। अतः यह आदेश विड्रावली की परिभाषा में आता है। आदेश 23 नियम 3 के अन्तर्गत नहीं आता है।

11– धारा 11 पूर्व न्याय तथा आदेश 23 नियम 3 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। धारा 11 **पूर्व न्याय**– कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

**अपील डिक्री/टीए/3392/2004/भरतपुर**
**हरीसिंह बनाम जगनसिंह**

आदेश 23 नियम 3 जा0दी0– **वाद में समझौता–** जहां न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि वाद (पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा) पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है या जहां प्रतिवादी वाद की पूरी विषयवस्तु के या उसके किसी भाग के संबंध में वादी की तुष्टि कर देता है, वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि अभिलिखित किये किये जाने का आदेश करेगा, और जहां तक कि वह वाद के पक्षकारों से संबंधित है, चाहे करार, समझौते या तुष्टि की विषय वस्तु वहीं हो न हो जो कि वाद की विषयवस्तु है वहां तक तद्नुसार डिक्री पारित करेगा।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में दावे में राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिस आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रावधानों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्ज्यूडिकेटा का प्रावधान लागू होता है।

12– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व में दावा जगनसिंह ने धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 17–08–1979 को प्रस्तुत किया था। इसमें हरीसिंह, प्रहलादसिंह, मुरलीसिंह एवं जगदीश तहसीलदार बयाना पक्षकार थे। यह दावा दिनांक 01–08–1986 को न्यायालय सहायक कलक्टर, बयाना द्वारा राजीनामा के आधार पर वादी का दावा चलने योग्य नहीं होकर वाद विनाय राजीनामा द्वारा निरस्त हो चुके हैं।

जिससे स्पष्ट है कि वादी का दावा रेस्ज्यूडिकेटा, एस्टोपल एक्यूजेन्स व वेवर का सिद्धान्त लागू होने के कारण चलने योग्य नहीं था।

13– पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण सं0 606 जो दिनांक 11–05–1968 को सक्षम ग्राम पंचायत खानाखेड़ा द्वारा तस्दीक किया गया है। उस पर अंकित है कि श्री धूड़ीसिंह वल्द मानिकसिंह फौत हो चुके हैं उनके वारिस जगनसिंह होते हैं। दाखिल खारिज जगनसिंह के नाम मंजूर किया जाता है। जब वादी जगनसिंह अपने पूर्वज धूड़ीसिंह की जमीन ले चुका है जो कि उसके पिता के ताउजी का पुत्र था तो दूसरी आराजीयात पर दावा करना उचित नहीं ठहरता।

14– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में दानपत्र व गोदपत्र को नहीं माना है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दसतावेज/साक्ष्यों के विपरीत है। प्रमाणित प्रतिलिपि पंजीकृत दानपत्र दिनांक 29–03–1973 तथा प्रमाणित प्रतिलिपि गोदपत्र पंजीकृत दिनांक 01–01–1978 पत्रावली पर उपलब्ध है। वादी ने स्वयं अपने वादपत्र में पैरा सं0 3 में दानपत्र तथा पैरा सं0 4 में गोदपत्र के बारे में लिखा है।

15– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि राजीनामा की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट के कथन मात्र से राजीनामा साक्ष्य ग्राह्य नहीं माना जावेगा। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी जगनसिंह स्वयं ने अपने वादपत्र के पैरा सं0 5 में अंकित किया है कि दिनांक 01–08–1986 को वादी की पूर्वानुमति के राजीनामा लिखवाकर वादी के अंगूठा निशानी लगवा दी है। वादी जगनसिंह पी.डब्ल्यू–1 स्वयं अपने बयान में राजीनामा के बारे में अंकित किया है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान सहायक कलक्टर, बयाना द्वारा वादी का दावा विधिवत् रूप से खारिज किया गया है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है।

16– अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

17– योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

18– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2004 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2000 को बहाल रखा जाता है।

19– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **(आर0डी0 मीणा)**

**सदस्य** **सदस्य**